



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 640029

दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

मे विनय कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह उम्र लगभग 37 वर्ष ग्राम-ससना बहादुरपुर, बेलथरा रोड, जिला-बलिया (उ०प्र०) का मूल निवासी हूँ। सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय अखण्डता, समरसता, समता, सभानता के भाव एवं संवेदनाओं व भावनाओं से ओत-प्रोत होकर भारत वर्ष को पूरी वैभव पर पहुँचाने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, योग व मानव जीवन के सम्पूर्ण कल्याण हेतु जागरूकता को बढ़ावा देकर सामाजिक कान्ति से भावी व वर्तमान पीढ़ी को जोड़कर देश के चतुर्दिक विकास व जनसेवा के मार्गों से सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर को संजोकर विकलांगों, बुढ़ो, अनुरूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों, अनाथ बच्चों, विधारी से गिरिहो, अधृत मरीजों, विधवाओं एवं गरीबों के उत्थान का लक्ष्य लेकर जिससे राष्ट्र प्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हो सके इस उद्देश्य से हम विनय कुमार सिंह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व सुरेन्द्र सिंह महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए वात्सल्य सेवा न्यास की स्थापना करते हैं। जो पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 निम्न नियमों व उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम	: वात्सल्य सेवा न्यास
न्यास का मुख्यालय	: ससना बहादुरपुर (बेलथरा रोड) जिला-बलिया (उ०प्र०)
ट्रस्ट का पता	: आवरयक्तानुसार स्थानांतरित किया जा सकता है। ग्राम-ससना बहादुरपुर थाना: उमौव तहसील: बेलथरा रोड, जिला: बलिया (उ०प्र०) पिन कोड-221715
न्यास का कार्यक्षेत्र	: सम्पूर्ण भारतवर्ष

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 640002

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान की है।

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामअवतार सिंह (महासचिव संस्थापक)
2. श्री विनय कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (मुख्य ट्रस्टी संस्थापक)
3. डा० भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व० रामअवतार सिंह (मुख्य सदस्य)
4. श्रीमती रेनू सिंह पत्नी स्व० देवेन्द्र सिंह (मुख्य सदस्य)
5. श्रीमती रिमा सिंह पत्नी डा० भूपेन्द्र सिंह (मुख्य सदस्य)
6. श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह पत्नी श्री विनय कुमार सिंह (मुख्य सदस्य)
7. बरुण कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह (मुख्य सदस्य)

समस्त निवासीगण ग्राम-ससना बहादुरपुर, बेलथरा रोड, जिला-बलिया (उ०प्र०).

दिनांक-22/1/15

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य: भारतवर्ष की परम वैभव पर पहुँचाना देश और समाज की सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रत्येक कार्य जो भारतीय संविधान के अनुसार उचित और समरसता के साथ-साथ



Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 640003

न्यायपूर्ण हो सम्पादित करना जैसे पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छता, साक्षरता, कम्प्यूटर साक्षरता, कौशल विकास, योग केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, पुस्तकालय स्थापना, जन जागरण, प्रचार-प्रसार, खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, अद्योगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि की स्थापना करना जिससे की ग्रामीण अंचलों में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों, महिलाओं को उनके उत्थान हेतु शिक्षा मुहैया कराना जिसके लिए प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग थेटेक्स कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, कीड़ा बल्ल प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, कीड़ा संस्थाओं की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर संभव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर संभव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बुन, मध्यम व समाज के दबे-कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामाद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करवा, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्ध आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अद्वैतकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय सेमन्ट स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को कय-विकय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी०टी०सी०, बी०एड०, बी०पी०एड०, टेक्निकल कालेज, सी०बी०एस०ई० के स्कूलों की स्थापना करना। ३०प्र० स्थापना करना तथा संचालन करना। देश-विदेश से वंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा-आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला, रागलीला, गेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व गठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु वंदा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 640004

जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरितियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह-उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वीच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उद्बोधन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, ग्रन्था विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धार्मिक कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, रागाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं, पुष्पाहार, श्रम भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्वे, प्रशिक्षण एवं एड्स जनशिक्षण, गंगा-यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियों, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संरक्षित वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, आयुर्वेद चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथ चिकित्सा (आयुष चिकित्सा) प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, मण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

ट्रस्ट का कार्यकाल— ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री कन्या जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी

दिनांक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 640001

निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता- वात्सल्य सेवा न्यास पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1922 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता- ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से 51,000.00 रुपये (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रु० 51,000.00 (इक्यावन हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कार्यभार हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य-

1. मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम-

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यक्षेत्र में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. संस्था के साधारण तथा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
5. आवश्यक कामजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) बाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

दिनांक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 424349

8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का कय-विकय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से आन्तरिक करना एवं वारों का निस्तारण की पैरवी करना।
9. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
10. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सहर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।
11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नती, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
12. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
13. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नती व पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।
16. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियाँ एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबल कार्यों में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय:-

1. मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
3. ट्रस्ट (न्यास) को सन्नति के लिए दिशा-निर्देश देना।

दिनांक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 633364

4. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।
5. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
6. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

1. साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)-साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के संस्थापक मुख्य ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय द्वारा

मिलकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 51,000.00 रु० संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 7 होगी तथा इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। जिनमें किसी भी गलत आचरण में लिप्त पाये जाने पर मुख्य ट्रस्टी/महासचिव द्वारा बिना किसी कारण बताओं नोटिस जारी किये बगैर न्यास से निष्कासित करके बाहर किया जा सकता है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 633363

बैठकें—

1. साधारण बैठकें— ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. विशेष बैठक— दो तिहाई सदस्यों की लिखित राय पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति— बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन— साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अगस्त माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा का कर्तव्य— साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- (अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।
- (ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।
- (स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।
- (द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर सभा को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 633365

१. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

- समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। नियमावली की कठिग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने एवं समय-समय पर अद्यानुत्तन परिवर्तन करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/महासचिव (न्यास) को होगा।

२. ट्रस्ट (न्यास) कोष-

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीय बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

२३. ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य जाजिदर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

२४. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदाकारी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदाकारी कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा। किसी भी मुदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

२५. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे-सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

२६. वात्सल्य सेवा न्यास के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रु० ११,१००.०० (ग्यारह हजार एक सौ रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

२७. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इम्प्लियन ट्रस्ट एक्ट १९८२ के अन्तर्गत की जायेगी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CZ 633366

28. ट्रस्ट (न्याय) संस्था की किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

29ए- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी- संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी- केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तन्नाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि। संस्था अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकारी/गैर सरकारी बैंकों से लेन-देन (ऋण) आदि ले सकती है।

29डी- आयकर अधिनियम 1981 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक :



अख्त गवाह *देव नन्दन*

देव नन्दन 5% स्व. दुग्धनी एस
ग्रा. सहायक डा. (1985)
छे. बालिका



टंकणकर्ता

(Signature)
(सुधीर कुमार सिंह)
वित्तरा रोड-बलिया



(Signature)
राजेश वर्मा 5% स्व. बेन्च
ग्रा. सहा. सुजोय
छे. बालिका

(Signature)

(Signature)
11.4.2011